

प्ररूप सं. 27थ

[धारा 194ड, धारा 194ख, धारा 194ग, धारा 195, धारा 196क, धारा 196ख, धारा 196ग, धारा 196घ और नियम 31क देखिए]

आयकर अधिनियम की धारा 200 की उपधारा (3) के अधीन ..... (जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च) ..... (वित्तीय वर्ष)  
को समाप्त होने वाली तिमाही को अनिवासियों के वेतन से भिन्न संदायों की बाबत कर की कटौती का तिमाही विवरण

1. (क) कर कटौती और संग्रहण खाता सं. (टैन)
- (ख) स्थायी लेखा सं. (पैन)   
[टिप्पण 1 देखिए]
- (ग) वित्तीय वर्ष .....
- (घ) क्या इस तिमाही से पहली कोई विवरणी फाइल की गई है (हां/नहीं) .....
- (ङ) यदि (घ) का उत्तर "हां" है तो मूल विवरणी का टोकन सं. ....
- (च) कटौतीकर्ता का प्रकार (टिप्पण 2 देखिए)

2. कटौतीकर्ता की विशिष्टियां :

(क) कटौतीकर्ता का नाम	
(ख) यदि केंद्रीय/राज्य सरकार नाम (टिप्पण 3 देखिए)	
पीएओ/टीओ/सीडीडीओ का एआईएन कोड	
(ग) टैन रजिस्ट्रीकरण सं.	
(घ) पता	
फ्लैट नं.	
परिसर/भवन का नाम	
रोड/मार्ग/लेन	
क्षेत्र/अवस्थान	
टाउन/नगर/जिला	
राज्य	
पिन कोड	
टेलीफोन नं.	
अनुकल्पी टेलीफोन नं. (टिप्पण 4 देखिए)	
ई-मेल	
अनुकल्पी ई-मेल (टिप्पण 4 देखिए)	



5. संदत्त रकम और उस पर कटौतीदार से कर कटौती के ब्यौरे (उपाबंध देखिए)

**सत्यापन**

में, ....., सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं।

स्थान : .....

स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर.....

तारीख : .....

स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम.....

**टिप्पण :**

1. गैर सरकारी कटौतीकर्ता के लिए पैन का उल्कथित किया जाना आवश्यक है। सरकारी कटौतीकर्ता की दशा में "पैन आवश्यक नहीं" उल्लिखित होगा।
2. कृपया सरकारी कटौतीकर्ता या गैर कटौतीकर्ता उपदर्शित करें।
3. केंद्रीय सरकार की दशा में, कृपया मंत्रालय/विभाग का नाम उल्लिखित करें/राज्य सरकार की दशा में, कृपया राज्य का नाम उल्लिखित करें।
4. अनुकल्पी टेलीफोन नं. और अनुकल्पी ई-मेल में, कृपया ऐसे व्यक्ति का टेलीफोन नं. और ई-मेल दिया जाए, जिससे कटौतीकर्ता और कर कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति की अनुपस्थिति में संपर्क किया जा सके।
5. धारा 234ड के अधीन विलंब से स्रोत पर कर कटौती का विवरण फाइल करते समय संदत्त फीस को, 'फीस' के पृथक् स्तंभ में उल्लिखित किया जाए (स्तंभ 656)।
6. स्तंभ 658 में, सरकारी डीडीओ, पीएओ/सीडीडीओ/डीटीओ द्वारा विप्रेषित रकम को उल्लिखित करेंगे। अन्य कटौतीकर्ता चालान द्वारा जमा की गई सही रकम को लिखेंगे।
7. स्तंभ 659 में, सरकारी कटौतीकर्ता "ख" लिखेंगे जहां स्रोत पर कर कटौती, बही समायोजन द्वारा केंद्रीय सरकार के जमा में विप्रेषित की जाती है। अन्य कटौतीकर्ता "ग" लिखेंगे।
8. चालान/अंतरण वाउचर (सीआईएन/बीआईएन) विशिष्टियां, अर्थात् 710, 711, 712 वही होंगे जो कर सूचना नेटवर्क पर उपलब्ध हैं।
9. स्तंभ 713 में, चालान पर यथा चिन्हित लघु शीर्ष उल्लिखित करें।



**सत्यापन**

मैं, ....., सत्यापित करता हूँ कि ऊपर दी गई सभी विशिष्टियां सही और पूर्ण हैं।

स्थान : .....

स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति के हस्ताक्षर.....

तारीख : .....

स्रोत पर कर कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम और पदनाम.....

**टिप्पण :**

1. “क” लिखें, यदि धारा 197 के अधीन प्रमाणपत्र के मद्दे “कम कटौती की गई है” या “कटौती नहीं की गई है”।
2. “ग” लिखें, यदि ग्रासिंग अप किया गया है।
3. “घ” लिखें, यदि कटौतीदार द्वारा पैन न प्रस्तुत करने के मद्दे उच्च दर पर कटौती की गई है।
4. धारा कोड की सूची निम्न प्रकार से है :

धारा	संदाय की प्रकृति	धारा कोड
194ड	अनिवासी खिलाड़ियों/खेल सहयोगनों को संदाय	94ड
194उख	अवसंरचना ऋण निधि के ब्याज से आय	4उख
194ठग	भारतीय कंपनी से ब्याज से आय	4ठख
195	अनिवासी को संदेय अन्य राशि	195
196क	अनिवासियों की यूनिटों की बाबत आय	96क
196ख	आफशोर निधि की यूनिटों की बाबत संदाय	96ख
196ग	अनिवासी भारतीय कंपनी को संदेय विदेशी मुद्रा बांड या शंयरो से आय	96ग
196घ	विदेशी संस्थागत निवेशकों की प्रतिभूतियों से आय	96घ